

## फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष – 31.12.2009

अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम – डॉ. अर्चना गौर

वर्तमान धारित पद – सहायक प्राध्यापक

वर्तमान वेतन – 13575

अगली वेतनवृद्धि की तारीख – 01.11.2010

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया । खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की गई हो उसका नाम एवं ब्यौरा	संपत्ति की वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
जिला- भोपाल तहमील हूजुर ई-7/768 अरेरा कॉलोनी, भोपाल	गृह भवन	निरंक	38 लाख	स्वयं एवं मेरे पति श्री पी.एन.गौर के नाम	प्लाट 60*40 म.प्र. हाउसिंग बोर्ड से 0. 44 लाख में जनवरी 1988 में कय किया गया तथा उस पर रु. 5.25 लाख में भवन निर्माण किया गया । इसमें 60% हिस्सा मेरे पति का तथा 40% मेरा है संसाधन (कृषि आय, लोन एवं वेतन)	लगभग 20000/- (स्वयं का हिस्सा )	पति के नाम पैतृक कृषि भूमि 10 एकड़ सिंचित है ।

- जहाँ लागू न हो काट दीजिए ।
- ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए ।
- इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं ।

टिप्पणी:- म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें ।

हस्ताक्षर .....

नाम – डॉ. अर्चना गौर

पद – सहायक प्राध्यापक

विभाग – उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल